विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रश्न एंव संदर्भ समिति का
(विशेष प्रतिवेदन)
(16 जनवरी, 2018 को प्रस्तुत)
सदन द्वारा 17 जनवरी, 2018 को स्वीकृत

REPORT
OF THE
COMMITTEE ON
QUESTIONS & REFERENCE
(SPECIAL REPORT)
(PRESENTED ON 16 JANUARY, 2018)
ADOPTED BY THE HOUSE ON 17 JANUARY,2018

विधान सभा
पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054

LEGISLATIVE ASSEMBLY
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

विधान सभा

प्रश्न एवं संदर्भ समिति

समिति की संरचना

1.	सुश्री राखी बिरला	सभापति
2.	श्री अमानतुल्लाह खान	सदस्य
3.	श्री अखिलेश पति त्रिपाठी	सदस्य
4.	श्री महेन्द्र गोयल	सदस्य
5.	श्री प्रकाश	सदस्य
6.	श्री राजेश ऋषि	सदस्य
7.	श्री प्रवीण कुमार	सदस्य
8.	श्री संजीव झा	सदस्य
9.	श्री सौरभ भारद्वाज	सदस्य

विधान सभा सचिवालय

1.	श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा	सचिव
2.	श्री महेन्द्र गुप्ता	उप सचिव

विषय सूची

1.	प्रस्तावना	पृष्ठ–4
2.	परिचय	पृष्ठ–5
3.	पृष्ठभूमि	पृष्ठ–5
4.	कार्यवाही	पृष्ठ–5–8
5.	जांच परिणाम तथा निष्कर्ष	पृष्ठ–8
6.	संस्तुतियां	पृष्ठ–9

प्रस्तावना

माननीय अध्यक्ष महोदय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की दरगाह–भूमि की अवैधानिक बिक्री के बारे में दिनांक 17.01.2017 के अतारांकित प्रश्न संख्या 14 के असंतोषजनक/अपूर्ण उत्तर से संबंधित मामला प्रश्न और संदर्भ समिति को भेजा था।

समिति ने दिनांक 15.03.2017, 22.12.2017 तथा 12.01.2018 को आयोजित अपनी बैठकों में उठाए गए मुद्दों की जांच की।

समिति का विशिष्ट प्रतिवेदन एक अंतरिम प्रतिवेदन है और इसे समिति की दिनांक 15.01.2018 की बैठक में स्वीकार किया गया था। समिति इस बात से सहमत थी कि इसे माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किया जाए और उनकी उचित अनुमति के बाद इसे दिनांक 16.01.2018 को सदन में प्रस्तुत किया गया।

समिति को अपनी कार्रवाई परिचालित करने में सहायता प्रदान करने के लिए समिति विधान सभा के स्टाफ की प्रशंसा करती है।

दिल्ली
15.01.2018

राखी बिरला
सभापति

परिचय

इस प्रकरण का संबंध श्री सौरभ भारद्वाज, सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 14 दिनांक 17.01.2017 से है, जिसका उत्तर असंतोषजन तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड तथा राजस्व विभाग ने दिया था।

प्रश्न दरगाह हजरत नसीरुद्दीन औलिया रौशन चिराग दिल्ली के संबंध में था जिसका एक हिस्सा अवैधानिक तरीके से दरगाह के तथाकथित खादिम द्वारा बेच दिया गया और सेलडीड संख्या 831 एसआरवीए हौज़ खास, वॉल्यूम संख्या 1314, पुस्तक संख्या 1, पृष्ठ संख्या 190 से 198 दिनांक 16.02.2016 पर दर्ज की गई।

प्रश्न में उपर्युक्त विभागों द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई, उक्त अवैधानिक बिक्री के लिए दर्ज कराई गई प्राथमिकियों तथा विभागों द्वारा इस अवैधानिक सेलडीड को रद्द करने के संबंध में प्रारंभ की गई कार्रवाई के संबंध में जानना चाहा था।

पृष्ठभूमि

चिराग दिल्ली स्थित उक्त दरगाह को वक्फ संपत्ति के रूप में दिल्ली प्रशासन की राजपत्र अधिसूचना दिनांक 31.12.1970 द्वारा विधिवत राजपत्रित किया गया था और यह संपत्ति दिल्ली वक्फ बोर्ड अधिनियम के अंतर्गत अहस्तांतरणीय है।

मार्च 2018 में एक साहसी आम नागरिक द्वारा उक्त दरगाह के कुछ तथाकथित खादिमों के विरुद्ध दरगाह के एक हिस्से की सेलडीड दर्ज कराए जाने के विरुद्ध एक शिकायत की गई थी। शिकायत को एस.एच.ओ. मालवीयनगर, एस.डी.एम. हौज़ खास और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास भेजा गया था।

शिकायतकर्ता तथा आम जनता द्वारा लगातार आगे की कार्रवाई के बारे में पूछताछ करते रहने के बावजूद दिल्ली पुलिस द्वारा कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई।

इस कारण लगभग 6 महीने के बाद श्री सौरभ भारद्वाज, सदस्य विधानसभा द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 14 दिनांक 17.01.2017 पूछा गया जिसमें सेलडीड की स्थिति, विभागों द्वारा की गई कार्रवाई तथा इस मामले में दर्ज की गई प्राथमिकियों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। सदस्य ने माननीय अध्यक्ष, विधान सभा से शिकायत की कि राजस्व विभाग और दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा दिया गया उनके प्रश्न का उत्तर असंतोषजनक है। और यह प्रकरण प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेजा गया।

कार्यवाही

इस विषय पर हुई पहली बैठक दिनांक 15.03.2017 में राजस्व विभाग इस बात पर सहमत हुआ कि वह पुलिस विभाग तथा दिल्ली वक्फ बोर्ड से इस प्रकरण में आगे कार्रवाई करने के लिए तथा न्यायालय में सिविल सूट फाइल करके सेलडीड पंजीकरण को रद्द कराने के लिए प्रयास करेगा।

डी.एम. (मुख्यालय) द्वारा राजस्व विभाग के कार्रवाई प्रतिवेदन (एटीआर) दिनांक 20.03.2017 द्वारा उपायुक्त पुलिस, दक्षिण को प्राथमिकी दर्ज किए जाने के लिए लिखे गए अपने कार्यालयीय पत्र दिनांक 20.03.2017 के बारे में सूचित किया। इसमें दिनांक 20.03.2017 को दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुख्य

कार्यकारी अधिकारी तथा संबंधित एस.एच.ओ. को लिखे पत्र का भी उल्लेख किया गया जिसमें उक्त सेलडीड को रद्द करने के लिए अदालती कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए कहा गया था।

इसमें उप पंजीयक, हौज़ खास द्वारा एस.एच.ओ. महरौली को लिखे कार्यालयीय पत्र दिनांक 23.07.2016 का भी उल्लेख किया गया जिसमें पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज़ करने का अनुरोध किया गया था। उप पंजीयक हौज़खास द्वारा एस.एच.ओ. महरौली को लिखा गया एक अन्य कार्यालयीय पत्र दिनांक 08.08.2016 भी था, जिसमें पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज़ करने के लिए कहा गया था।

समिति की बैठक पुनः दिनांक 22.12.2017 को हुई और उसे यह जानकार आश्चर्य हुआ कि लगभग एक वर्ष के बाद भी पुलिस द्वारा कोई प्राथमिकी दर्ज़ नहीं की गई। श्री राजिन्दर पठानिया, सहायक आयुक्त पुलिस ने इस चूक को स्वीकार किया और दिल्ली वक्फ बोर्ड पर अतिरिक्त जानकारी प्रदान न करने का आरोप लगाया।

दिल्ली वक्फ बोर्ड इस बात पर कायम था कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को दिनांक 28.04.2016 को पत्र लिखा था और पुलिस को सभी संबंधित जानकारी प्रदान कर दी थी।

दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यह स्पष्ट नहीं कर सके कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने सेलडीड रद्द करने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई प्रारंभ क्यों नहीं की। मुख्य विधि अधिकारी ने स्वीकार किया कि उन्हें वक्फ बोर्ड की ओर से न्यायालय द्वारा सेलडीड रद्द कराने हेतु कानूनी कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए।

श्री के.ए. फारुकी, अनुभाग अधिकारी, जिन्हें इस प्रकरण की पूरी जानकारी थी, ने समिति को यह कहकर भ्रमित करने का प्रयास किया कि सेलडीड रद्द कराए जाने के लिए अदालती कार्रवाई इसलिए प्रारंभ नहीं की जा सकी क्योंकि वे प्राथमिकी दर्ज़ किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। समिति का मानना था कि आपराधिक और दीवानी प्रकियाएं दो समानांतर और भिन्न कार्रवाइयां हैं।

श्री के.ए. फारुकी, अनुभाग अधिकारी ने समिति को सूचित किया कि ज़मीन की कोई हदबंदी नहीं थी और राजपत्र अधिसूचना भूमि के क्षेत्र, आकार और सीमांकन के संबंध में मौन है और, इस कारण से यह बताने का कोई तरीका नहीं है कि उक्त ज़मीन दरगाह की ही है। उन्होंने संपत्ति को चिह्नित करने हेतु दरगाह के किसी नक्शे के होने से भी इनकार किया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि ख़ादिम और उनके पूर्वज बहुत लंबे समय से, वक्फ बोर्ड के अस्तित्व में आने के भी बहुत पहले से, उक्त दरगाह की देखभाल करते आ रहे हैं। उन्होंने आगे यह भी स्पष्ट किया कि वक्फ बोर्ड तथाकथित ख़ादिमों के पिता के विरुद्ध सभी अदालती मुकदमे हार चुका है और वे निर्णय इस मामले में भी लागू होते हैं। अंत में उन्होंने निष्कर्ष के तौर पर कहा कि उक्त संपत्ति को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है क्योंकि तथाकथित ख़ादिमों द्वारा बेची गई संपत्ति दरगाह का हिस्सा है ही नहीं।

समिति ने उनसे अपने बयान के विरोधाभास को स्पष्ट करने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने ही पुलिस विभाग को अवैध बिक्री के मामले में प्राथमिकी दर्ज़ करने के लिए पत्र लिखे थे। उन्होंने बताया कि वह हमेशा से यही मानते आए हैं कि तथाकथित ख़ादिमों द्वारा बेची गई संपत्ति दरगाह का हिस्सा नहीं है, परंतु उन्हें तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री महबूब आलम द्वारा कार्रवाई करने के लिए बाध्य किया गया था।

वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने समिति को कार्रवाई प्रतिवेदन दिनांक 09.01.2018 प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया कि उक्त दरगाह के संबंध में लगभग चार अदालती मामलों में फैसला वक्फ बोर्ड के विरुद्ध हुआ था। हालांकि, बाद में समिति में अन्य स्थानीय निवासियों द्वारा यह खुलासा किया गया कि वक्फ बोर्ड द्वारा दरगाह के संबंध में 6 मामले दायर किए गए थे और एक अन्य मामला वर्ष 1969 में भी हुआ था।

अतिरिक्त जिला जज श्री एस.एन. कपूर द्वारा निर्णीत दो मामले और एक अन्य मामला जिसका निर्णय श्री ओ.पी. द्विवेदी, अतिरिक्त जिला जज ने किया था, और जिनका निर्णय वक्फ बोर्ड के पक्ष में हुआ था, जानबूझकर समिति से छिपाए गए। पक्ष में हुए इन निर्णयों को छिपाते हुए इस मामले को विधि एवं न्याय विभाग में कानूनी राय के लिए भेजा गया। यह सबकुछ दूसरे विभाग से मिली कानूनी राय की आड़ में मिलीभगत को छिपाने की मंशा से किया गया। सेलडीड रद्द कराने हेतु 3 वर्ष की अवधि को बीत जाने देने के लिए कर्मचारी तथाकथित खादिमों के साथ मिलीभगत कर रहे थे।

स्थानीय निवासियों द्वारा यह भी खुलासा किया गया कि श्री सिकंदर, ड्राफ्ट्समेन, दिल्ली वक्फ बोर्ड, द्वारा एक साइटप्लान दिनांक 28.01.1983 भी तैयार किया गया था और स्वयं दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा अदालती कार्रवाइयों में फाइल किया गया था। उक्त साइट प्लान समिति की बैठक में दिखाया गया जिससे स्पष्ट पता चलता है कि तथाकथित खादिमों द्वारा बेची गई संपत्ति दरगाह का हिस्सा है और इस प्रकार वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तथाकथित खादिम जमीर अहमद द्वारा बेची गई संपत्ति को 230 की संख्या दी गई है, जो दिल्ली नगर निगम की संपत्ति संख्या नहीं है बल्कि इसे दिनांक 30.12. 1970 की राजपत्र अधिसूचना से लिया गया है, और उक्त दरगाह राजपत्र में कम संख्या 230 पर उल्लिखित है। इससे यह स्पष्टरूप से स्थापित हो जाता है कि बेची गई संपत्ति दरगाह की है और वक्फ की संपत्ति है।

आगे यह भी खुलासा किया गया कि अतिरिक्त जिला जज, श्री रवि कुमार द्वारा मुकदमा संख्या 23/82 दिनांक 30.04.1983 में वाद विषय संख्या 1 में यह भी निर्णय किया गया था कि मुकदमें की संपत्ति दिल्ली वक्फ बोर्ड की है। दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा दिए गए कार्रवाई प्रतिवेदन में इस तथ्य को भी छिपाया गया।

यह भी खुलासा हुआ कि अतिरिक्त जिला जज श्री एस.एन. कपूर ने मुकदमा संख्या 1981 का 172 दिनांक 07.01.1985 का निर्णय भी वक्फ बोर्ड के पक्ष में किया था। वाद विषय 3 और पांच में कहा गया था कि "यह ध्यान में रखते हुए कि यदि मोहम्मद अहमद खादिम थे तो जमीर अहमद और जहीर अहमद, पुत्र मोहम्मद अहमद केवल इस तथ्य के आधार पर खादिम नहीं हो जाते कि वे मोहम्मद अहमद के पुत्र हैं।" क्योंकि इन निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई अतः ये निर्णय अंतिम माने जाएंगे। इस प्रकार, जमीर अहमद और जहीर अहमद तो उक्त दरगाह के खादिम भी नहीं हैं।

समिति की बैठक में बाद में स्थानीय निवासियों ने यह भी खुलासा किया कि श्री ओ.पी. द्विवेदी, अतिरिक्त जिला जज द्वारा मुकदमा संख्या 1981 का 28 दिनांक 18.01.1985 का निर्णय भी दिल्ली वक्फ बोर्ड के पक्ष में हुआ था। हालांकि, इसे कार्रवाई प्रतिवेदन में छिपाया गया।

दिल्ली वक्फ बोर्ड के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वर्तमान सीएलओ और श्री के.ए. फारुकी यह स्पष्ट नहीं कर सके कि सरकार और वक्फ बोर्ड के पक्ष में होने वाले निर्णयों को उनके सभी प्रतिवेदनों में क्यों छिपाया गया। उन्होंने कहा कि ये उन्होंने पहली बार देखे हैं और इन मामलों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी।

स्थानीय निवासियों ने बताया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के पक्ष में होने वाले इन सभी निर्णयों को तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष और अनुभाग अधिकारी श्री के.ए. फारुकी को बताया गया था

जब शपथद्ध कराकर पूछा गया तो श्री मेहबूब आलम, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने पुष्टि की कि स्थानीय ग्रामीण उनसे मिले थे और इन निर्णयों के बारे में श्री फारुकी को भी बताया था, जिसके परिणामस्वरूप तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने संबंधित एस.एच.ओ. को विक्रेता और खरीददार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। तब श्री मेहबूब आलम ने विभाग को सीपीसी के आदेश 10 के नियम 1 के अंतर्गत अदालत में आवेदन दाखिल करने के लिए कहा था, जहां दीवानी मुकदमा लंबित है।

जांच परिणाम तथा निष्कर्ष

प्रश्न एवं संदर्भ समिति को दिए दिल्ली वक्फ बोर्ड के कार्रवाई प्रतिवेदन में जानबूझकर उन अदालती मामलों को छिपाया गया था जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के पक्ष में थे। दिल्ली वक्फ बोर्ड के कर्मचारी, विशेषकर श्री के.ए. फारुकी तथाकथित खादिम के साथ दरगाह की संपत्ति को बेचने में मिलीभगत से काम कर रहे थे, जो कि साफ तौर पर एक अधिसूचित वक्फ संपत्ति है।

अभिलेखों में यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त सामग्री मौजूद है कि श्री के.ए. फारुकी का बयान मनगढ़ंत, विरोधाभास, झूठ और बदनीयती से भरा हुआ था तथा दिल्ली वक्फ बोर्ड के हितों के विरुद्ध था।

विधान सभा की समिति के समक्ष इस प्रकार का धूर्ततापूर्ण, असत्य और भ्रामक बयान प्रस्तुत करना उन कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए एक उपयुक्त मामला है जो विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना के लिए उत्तरदायी हैं।

वक्फ संपत्ति की सुरक्षा करने के वैधानिक उत्तरदायित्व की उपेक्षा और अवहेलना करते हुए सेलडीड को रद्द कराने की कानूनी कार्रवाई में जानबूझकर विलंब करने को दिल्ली वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों की पेशेवराना ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की कमी ही माना जा सकता है।

समिति को दिल्ली वक्फ बोर्ड के कार्यकलाप में मार्च–जून 2016 की प्रारंभिक अवधि तथा बाद की अवधि में स्पष्ट अंतर देखने को मिला। दिल्ली वक्फ बोर्ड की अध्यक्षता किसी नियमित अध्यक्ष को करनी चाहिए जो सीधे समुदाय के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी हो तथा एक नियमित मुख्य कार्यकारी अधिकारी होना चाहिए जिसपर दिल्ली वक्फ बोर्ड की पूर्णकालिक ज़िम्मेदारी हो।

एस.एच.ओ. (महरौली), एस.एच.ओ. (मालवीय नगर) तथा उपायुक्त पुलिस, दक्षिण को उप पंजीयक, डी.एम. तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (वक्फ बोर्ड) की ओर से बार–बार पत्र लिखे जाने के बावजूद घटना के 22 महीने बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। दिल्ली पुलिस कर्मचारियों की ओर से पेशेवराना ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की कमी स्पष्ट दिखाई देती है।

इस मिलीभगत को केवल भ्रष्टाचार के रूप में ही व्याख्यायित किया जा सकता है, और किसी तरह नहीं। इस पहलू की अच्छी तरह से जांच किए जाने की आवश्यकता है।

संस्तुतियां

1. श्री के.ए. फारुकी, अनुभाग अधिकारी, दिल्ली वक्फ बोर्ड के विरुद्ध दरगाह संपत्ति की अवैधानिक बिक्री में तथाकथित खादिम और खरीददार की सहायता करने और मिलीभगत के इन गलत कार्यों के लिए रा.रा.क्षे. दिल्ली के मुख्य सचिव को आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ करनी चाहिए।
2. रा.रा.क्षे.दिल्ली के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वक्फ बोर्ड की अध्यक्षता करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कोई चुना हुआ अध्यक्ष हो।
3. रा.रा.क्षे. दिल्ली के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली वक्फ बोर्ड के तौर पर नियुक्त अधिकारी पर अतिरिक्त दायित्वों के कारण अत्यधिक कार्यभार न हो।
4. रा.रा.क्षे. दिल्ली के मुख्य सचिव को सुनिश्चित करना चाहिए कि दिल्ली पुलिस द्वारा वक्फ/दरगाह की संपत्ति की अवैधानिक बिक्री के लिए प्राथमिकी दर्ज़ की जाए।
5. रा.रा.क्षे. दिल्ली के मुख्य सचिव को सुनिश्चित करना चाहिए कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के विरुद्ध उक्त मामले में प्राथमिकी दर्ज़ न करने के लिए सतर्कता जांच प्रारंभ की जाए।
6. रा.रा.क्षे. दिल्ली के मुख्य सचिव इस प्रतिवेदन को विधानसभा द्वारा स्वीकार किए जाने के एक महीने के अंदर समिति के जांच–परिणामों व संस्तुतियों के आधार पर माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से सदन में कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।
7. श्री के.ए. फारुकी, अनुभाग अधिकारी, दिल्ली वक्फ बोर्ड के विरुद्ध दिल्ली विधान सभा के सदन की समिति के विशेषाधिकार हनन के लिए विशेषाधिकार संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की जानी चाहिए।
8. मुख्य सचिव द्वारा भारत की बार कौंसिल से अनुरोध किया जाए कि वह वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की भूमिका और आचरण की जांच करे, जिन्होंने नैतिक और पेशेवेर तरीके से कार्य नहीं किया और परिणामस्वरूप वक्फ बोर्ड को प्रतिकूल आदेशों का सामना करना पड़ा।
9. रा.रा.क्षे. दिल्ली के मुख्य सचिव यह सुनिश्चित करें कि वक्फ बोर्ड जिन 36 अदालती मामलों में पराजित हुआ है उनकी मजिस्ट्रेट जांच की जाए और 6 महीने में इसकी रिपोर्ट दें, विभाग तथा वक्फ बोर्ड के अधिकारियों की भूलचूक को सामने लाएं, और साथ ही तुरंत उपयुक्त अदालतों में राहत के लिए कार्यवाही करें तथा वकीलों के उपस्थित न होने के कारण जो निर्णय/आदेश पारित किए गए हैं उन्हें प्रारंभ से निरस्त कराएं।

दिल्ली
17.01.2018

राखी बिरला
सभापति

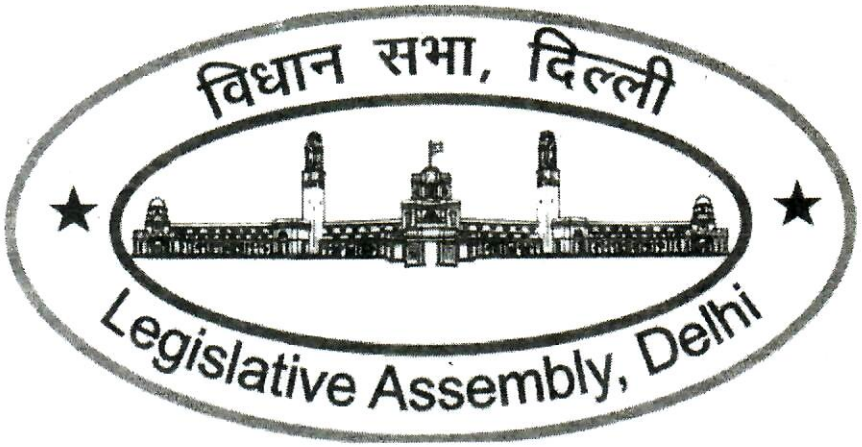

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रश्न एंव संदर्भ समिति का
(विशेष प्रतिवेदन)
(16 जनवरी, 2018 को प्रस्तुत)

REPORT
OF THE
COMMITTEE ON
QUESTIONS & REFERENCE
(SPECIAL REPORT)
(PRESENTED ON 16th JANUARY, 2018)

विधान सभा
पुराना सचिवालय, दिल्ली –110054

LEGISLATIVE ASSEMBLY
OLD SECRETARIAT, DELHI-110054

LEGISLATIVE ASSEMBLY
QUESTIONS & REFERENCE COMMITTEE

COMPOSTION OF THE COMMITTEE

1	Ms Rakhi Birla	Chairperson
2	Shri Amanatullah Khan	Member
3	Shri Akhilesh Pati Tripathi	Member
4	Shri Mohinder Goyal	Member
5	Shri Prakash	Member
6	Shri Rajesh Rishi	Member
7	Shri Praveen Kumar	Member
8	Shri Sanjeev Jha	Member
9	Shri Saurabh Bharadwaj	Member

Secretariat of Legislative Assembly:

1	Shri Prasanna Kumar Suryadevara	Secretary
2	Shri Mahendra Gupta	Deputy Secretary

INDEX

1	Preface	Page 4
2	Introduction	Page 5
3	Background	Page 5
4	Proceedings	Page 5-8
5	Findings and Conclusion	Page 8
6	Recommendations	Page 9

PREFACE

The Hon'ble Speaker referred a matter related to unsatisfactory/incomplete reply to Unstarred Question no 14 dated 17.01.2017 to the **Question and Reference Committee** related to illegal sale of Dargah land belonging to Delhi Waqf Board.

The Committee examined the issues raised in its meetings held on15.03.2017, 22.12.2017 and 12.01.2018.

The Special Report of the Committee is an interim report and was adopted in its meeting held on 15.01.2018 and agreed to present it to Hon'ble Speaker and with his due permission, table it in the House on 16.01.2018.

The Committee commends the officers and staff of Legislative Assembly for assisting the Committee in conducting its proceedings.

Rakhi Birla
Chairperson

Delhi
15.01.2018

INTRODUCTION

The matter is related to a Un-starred Question no 14, dated 17.01.2017 raised by Shri Saurabh Bharadwaj, Member of Legislative Assembly which was unsatisfactorily answered by the Revenue Department and Delhi Waqf Board.

The question was regarding the Dargah of Hazrat Naseeruddin Aulia Raushan Chirag Dilli whose part was illegally sold and sale deed no 831 was registered by so-called khadim of Dargah as SRVA Hauz Khas , Vol no 1314, book no 1, Page no 190 to 198 dated 16.02.2016.

The question sought know about the action taken by the above mentioned departments, any FIRs registered for such illegal sale deed and action initiated by departments to quash such illegal sale deed.

BACKGROUND

The aforesaid Dargah at Chirag Delhi is duly gazetted as Waqf property wide Gazette Notification of Delhi Administration dated 31.12.1970 and property is non-transferable under the provisions of Delhi Waqf Act.

There was a complaint in March 2016 by a public spirited citizen against some so-called khadims of the said Dargah for registering a sale deed of the part of Dargah. The complaint was sent to SHO (Malviya Nagar), SDM (Hauz Khas) and later to Delhi Waqf Board.

In spite of repeated follow-ups by the complainant and general public, no FIR was registered by the Delhi Police.

Hence, after around six months, the Un-starred Question no 14, dated 17.01.2017 was raised by Shri Saurabh Bharadwaj, Member of Legislative Assembly enquiring about the status of Sale deed, action taken by the departments and status of FIR registered in this matter. The member complained to the Hon'ble Speaker of the Delhi Assembly that the Question was unsatisfactorily answered by the Revenue Department and Delhi Waqf Board. And the matter was referred to Questions and Reference Committee.

PROCEEDINGS

In the first meeting on this subject dated 15.03.2017, the Revenue Department agreed to follow up with the Police Department and Delhi Waqf Board to register the FIR in this matter and cancellation registration of sale deed by filing a civil suit in the Court of Law .

The Action Taken Report of the Revenue Department dated 20.03.2017 by DM(HQ) informed about their office letter dated 20.03.2017 to DCP, South to register the FIR. It also mentioned their office letter dated 20.03.2017 to CEO, Delhi Waqf Board to pursue the matter with concerned SHO and also to initiate the court proceedings for cancellation of the registration of the said sale deed.

It also mentioned about office letter dated 23.07.2016 to SHO Mehrauli by the Sub-Registrar, Hauz Khas requesting an FIR under Registration Act. There was another office letter dated 08.08.2016 to SHO Mehrauli by the Sub-Registrar, Hauz Khas requesting an FIR under Registration Act.

The Committee again met on 22.12.2017 and was surprised to know that even after a year, no FIR has been registered by the Police. Mr Rajinder Pathania, ACP admitted the lapse in taking the action in this matter, however, blamed Delhi Waqf Board for not providing the additional information.

The Delhi Waqf Board maintained that they have written letter to Delhi Police dated 28.04.2016 and provided all relevant information to the Police.

The CEO, Delhi Waqf Board could not explain why no legal action has been initiated by Delhi Waqf Board to cancel the sale deed. The Chief Legal Officer accepted that he has received no directions from the Waqf Board to initiate legal proceeding to get the sale deed cancelled by the Court.

Mr K.A Farooqi, Section Officer, who was well versed with the matter and tried to mislead the Committee by saying that Court proceedings for cancellation of Sale deep could not be initiated because they were waiting for registration of FIR. The Committee observed that criminal and civil proceedings are two parallel and separate actions.

Mr K.A Farooqi, Section Officer, informed the Committee that there was no demarcation of land and the Gazette Notification was silent on the area/size/demarcation of the and, hence there is no way to tell if the said land belonged to Dargah. He also denied existence of any map for the said Dargah to identify the property. He further explained that the said Khadim and his ancestors were looking after Dargah for a long time, much before Waqf Board came into existence. He further explained that Waqf Board has lost all the court cases and appeals against the so-called Khadim's father and those judgments hold good in the present date. He later concluded that Sale deed could not be challenged in the Court as the said property sold by so-called Khadim is not part of the Dargah.

The Committee asked him to explain the contradiction in his deposition as he was the one who wrote letters to Police Department for registration of FIR in the matter of illegal sale deed. He maintained that he always believed that said property sold by so-called Khadim is not part of the Dargah but was forced by the then CEO Mr Mehboob Alam to initiate action.

The CEO, Delhi Waqf Board submitted an Action Taken Report dated 09.01.2018 to the Committee. The Status report explained about the four court cases in respect of the said Dargah which have been decided against the Delhi Waqf Board. However, it was later revealed in the Committee by

other local residents that there were six cases filed by Delhi Waqf Board about this Dargah and there was one more in the year 1969.

The two court cases, decided by Sh S.N Kapoor, ADJ and another by Sh O.P Dwivedi, ADJ , which were intentionally concealed, were those which were decided in favour of Waqf Board. After concealing the favourable judgements, the matter was referred to Law and Judicial Department for legal opinion. It was all done with an intention to cover-up the connivance under the guise of legal opinion by another department. The officials were acting in connivance with so-called Khadims to exhaust the limitation period of 3 years for cancellation of Sale deed.

It was also revealed by the local residents that a site plan dated 28.01.1983 by Mr Sikandar, draftsman, Delhi Waqf Board for said Dargah was prepared by Delhi Waqf Board and was filed in the court cases by the Delhi Waqf Board itself. The said site plan was shown at the Committee meeting which clearly identifies that the said property sold by so-called Khadim was a part of Dargah and hence a Waqf property. The Sale deed executed by so-called Khadim Zameer Ahmed have given property no 230 which is not a MCD property number but the same has been picked up from gazette notification dated 30.12.1970, and the said Dargah is mentioned in gazette at Sr No 230. This clearly establishes that the sold property belongs to Dargah and is a Waqf property.

It was further revealed that judgement of Shri Ravi Kumar, ADJ suit no 23/82 dated 30.04.1983 had decided in Issue no 1 that the property in the suit vests in Delhi Waqf Board. This fact was concealed in the ATR of Delhi Waqf Board.

It was also revealed that Judgement of Sh S.N Kapoor, ADJ Suit no 172 of 1981, dated 07.01.1985 was also decided in favour of Delhi Waqf Board. The Issue no 3 and 5 held that "Keeping in view that Zamir Ahmed and Zahir Ahmed , the sons of Mohd. Ahmed would not be Khadims simply on account of the fact that they are sons of Mohd Ahmed, if he was a khadim." As no appeal was filed against these judgements, they have has attained finality. Hence, Zamir Ahmed and Zahir Ahmed are not even Khadims of the said Dargah.

It was also revealed later in the Committee meeting by the local residents that Judgement of Sh O.P Dwivedi , ADJ Suit no 28 of 1981, dated 18.01.1985 was also decided in favour of Delhi Waqf Board. However the same was concealed in Action Taken Report.

The current CEO of Delhi Waqf Board , the current CLO and Mr K A Farooqi could not explain why judgements favourable to Govt and Waqf board were concealed in all their reports. They maintained that they had seen them for the first time and had no knowledge about these cases.

The local residents informed the Committee that all these judgements favouring the Delhi Waqf Board had been shared with the then CEO of the Delhi Waqf Bard, the then Chairperson of Waqf Board and Section Officer Mr K.A Farooqi.

When confronted on Oath, Mr Mehboob Alam, the then CEO confirmed that local villagers had met them and had shared these judgements with Mr Farooqi resulting in the then CEO directing the concerned SHOs to lodge FIRs against the seller and purchaser. Mr Mehboob Alam had then directed the department to move an application under Rule 1 order 10 of CPC in the court where the civil suit is pending.

FINDINGS AND CONCLUSIONS

The Action Taken Report of the Delhi Waqf Board to the Questions and Reference Committee had intentionally concealed the court cases which were favourable to Delhi Waqf Board. The officials of Delhi Waqf Board, particularly Mr. K.A Farooqi were acting in connivance with so-called khadim to aid the sale of dargah property, which is clearly a notified Waqf property.

There is enough material on record to conclude that deposition of the Mr K.A Farooqi was fabrication full of contradictions, untruths and malafide acting against the interest of Delhi Waqf Board.

Presenting such manipulated, incorrect and misleading deposition to the Committee of the Legislative Assembly is a fit case for initiation of proceedings against officials responsible for committing breach of privilege and contempt of the House.

Ignoring and abdicating the statutory duty to protect Waqf property and wilfully delaying legal action to cancel sale deed can only be construed as lack of professional honesty and integrity on the part of officials of Delhi Waqf Board.

The Committee could identify a clear contrast in the working of Delhi Waqf Board during the initial period of Mar-June 2016 and the period later. The Delhi Waqf Board should be headed by regular Chairperson who is directly accountable to the members of community and have regular CEO who should have full time responsibility of Delhi Waqf Board.

In spite of repeated office letters to SHO(Mehrauli), SHO(Malviya Nagar) and DCP South by Sub-Registrar, DM and CEO(Waqf Board) , FIR has not been registered even after 22 months of the incident. Lack of professional honesty and integrity is clearly visible on the part of Delhi Police officials.

Nothing else but corruption can explain such connivance. This aspect needs to be thoroughly investigated.

RECOMMENDATIONS

1. The Chief Secretary of GNCTD should initiate criminal proceedings against Mr K.A Farooqi for his acts of commission and omission to help and and connivance with so-called Khadims and purchaser in illegal sale of Dargah property.

2. The Chief Secretary of GNCTD should ensure there is an elected representative heading Delhi Waqf Board as Chairperson as per the laid down process.

3. The Chief Secretary of GNCTD should ensure officer appointed as CEO of Delhi Waqf board is not over-burdened with additional charges.

4. The Chief Secretary of GNCTD should ensure FIRs are registered by Delhi Police.

5. The Chief Secretary of GNCTD should ensure vigilance enquiry is initiated against the officers of Delhi Police for not registering the FIRs in the said case.

6. The Chief Secretary of GNCTD should submit action taken report to the House through Hon'ble Speaker, based on the recommendations and findings of the Committee within a month of the adoption of this Report by the Legislative Assembly.

7. Privilege proceedings should be initiated against Mr K.A Farooqi, Section Officer, Delhi Waqf Board for his acts of contempt of privilege of House Committee of Assembly of Delhi.

Rakhi Birla
Chairperson

Delhi
15.01.2018